**संख्या-68/2021/1034/22-2-2020-17(393)/2020**

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

***कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2*** ***लखनऊ: दिनांक 27 मई, 2021***

विषय:-केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बब्लू पुत्र श्री गनेश जायसवाल, निवासी जनपद-प्रयागराज की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-27411/प्रोबे0-5-दया0 बैठक 28.09.2020, दिनांक 02.11.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी बब्लू पुत्र श्री गनेश जायसवाल, 362 मुट्ठीगंज, थाना-मुट्ठीगंज, जनपद-प्रयागराज का निवासी है। बन्दी द्वारा दिनांक 06.03.2007 को बच्चों में पतंगबाजी को लेकर आपसी वाद-विवाद हो जाने के कारण 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर गोली मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-913, 914/2007 में भा0द0वि0 की धारा-302 व 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 14.09.2012 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है। बंदी द्वारा दिनांक 31.08.2020 तक 13 वर्ष 05 माह 18 दिन की अपरिहार सजा तथा 16 वर्ष 00 माह 19 दिन की सपरिहार सजा काटी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट@ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, प्रयागराज द्वारा बंदी का अपराध समाज को प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने की पूर्ण सम्भावना होने, पुन: अपराध करने में शसक्त होने की आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति ने बंदी द्वारा कारित अपराध की प्रकृति एवं जिला मजिस्ट्रेट तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, प्रयागराज द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति न किये जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी बब्लू (बन्दी संख्या-436/12) पुत्र श्री गनेश जायसवाल, निवासी जनपद-प्रयागराज की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

**संख्या-68/2021/1034(1)/22-2-2020 तद्दिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, प्रयागराज।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज।
3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in